



This is a digitally signed Gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 15 अक्टूबर, 2012/23 आश्विन, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th October, 2012

No. HHC/GAZ/14-258/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave *w.e.f.* 29.10.2012 to 9.11.2012 with permission to prefix Sunday and Dussehra holidays falling from 21.10.2012 to 28.10.2012 and to suffix Second Saturday Sunday, Gazetted and local holidays falling from 10.11.2012 to 14.11.2012 in favour of Shri Avinash Chander, Civil Judge (Senior Division)-*cum*-JMIC (I), Shimla, H.P.

Certified that Shri Avinash Chander is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Avinash Chander would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-*cum*-JMIC (I), Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 9th October, 2012*

No. HHC/Admn.16 (22)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P.Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Suvansh Saini, Ms. Mehak Iqbal and Sh. Sandeep Kumar (Enrolment No. HIM/327/2011), Advocates, Nahan as Oath Commissioners at Nahan, H.P., with immediate effect, for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA**NOTIFICATION***Shimla, 10th October, 2012*

No. HHC/Admn.3 (221)86-I.—**05** days earned leave on and *w.e.f.* 08.10.2012 to 12.10.2012 with permission to prefix Sunday falling on 07.10.2012 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 13.10.2012 & 14.10.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Ravinder Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Ravinder Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ravinder Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA**NOTIFICATION***Shimla, 10th October, 2012*

No. HHC/Estt. 3 (117)78-I.—**05** days commuted leave on and *w.e.f.* 24.09.2012 to 28.09.2012, with permission to prefix Sunday on 23.09.2012 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Tek Ram, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Tek Ram has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, ... अक्टूबर, 2012

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू(बी) एफ (5)2/2012.यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप महाल काशना तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में बलग वासाधार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप से भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0 क्षे0), विन्टर फ़िल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	उप महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
शिमला	ठियोग	काशना	325	0—05—62
			417	0—02—00
कुल जोड़ किता—2				0—07—62

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्टूबर, 2012

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ—(5) 69/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उप महाल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला बाई—पास सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का० क्षेत्र) जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का० क्षेत्र) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	उप महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र(वर्ग मीटर)
कांगड़ा	धर्मशाला	धर्मशाला	1306 / 1 / 1	7-70
			1306 / 2	21-40
			1306 / 3 / 1	155-95
			1306 / 4 / 1	54-75
			1306 / 5 / 1	166-50
			1307 / 6 / 1	7-50
			1306 / 7 / 1	8-62
कुल जोड किता			-7	422-42

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (लोक निर्माण)।

ब अदालत श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 9/2012

तारीख दायर : 19-9-2012

अग्रिम पेशी : 7-11-2012

श्री तिलक सिंह सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम प्रेम सिंह है जो कि ग्राम पंचायत सुदली, तहसील डलहौजी व उसके पिता के सर्विस प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है, लेकिन मुहाल सुदली के खाता खतौनी नं० 19/20, खसरा नम्बरान कित्ता 16, रकबा तादादी 12-02-00 बीघा में उसके पिता का नाम प्रेमो दर्ज है जो गलत दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो बनीखेत से ली गई। रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो बनीखेत नम्बर 234 दिनांक 20-9-2012 से पाया गया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम प्रेम सिंह ही है। गिरदावर कानूनगो बनीखेत ने प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त किए जाने की सिफारिश की है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार अखबार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 7-11-2012 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुन्दर सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री Paldan Lhamo पत्नी श्री Younten, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र Tenzin Palkar की जन्म तिथि 14-11-1980 है, जो कि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र Tenzin Palkar की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-11-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Khedup सुपुत्र श्री Pema Rhenon, निवासी TRHC मिडल बकरोटा, डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 30—7—1986 है, जो कि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र Tenzin Khedup की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 7—11—2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6—11—2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Y.P.S. Verma H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Rama Nand s/o Shri Rati Ram, r/o Village Challan, P.O. Nagjubbar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Rama Nand s/o Shri Rati Ram, r/o Village Challan, P.O. Nagjubbar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of names of his son namely Lakshay Sharma, date of birth 30-11-2009 in the record of Gram Panchayat Dharkandru, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for entries as mentioned above names, may submit his objection in writing in

this court on or before 20-11-2012 failing which no objection will be entertained after *expiry* of said date.

Given under my hand and the seal of the court on dated 1st day of October, 2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Y.P.S. Verma H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Khem Chand Sharma s/o Shri Amar Nath Sharma, r/o Village Ward No. 6, Subhash Chowk, M.C. Theog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh. . . Applicant.

Versus

General public

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Khem Chand Sharma s/o Shri Amar Nath Sharma, r/o Village Ward No. 6, Subhash Chowk, M.C. Theog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of names of his son namely Tarun Sharma date of birth 30-10-1990 and daughter namely Miss Ambika Sharma date of Birth 19-2-1994 in the record of Municipal Counsel, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for entries of the above mentioned names, may submit his objection in writing in this court on or before 20-11-2012 failing which no objection will be entertained after *expiry* of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of September, 2012.

Seal.

Y. P. S. VERMA,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

बहुउद्देशीय परियोजनाएँ एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अक्टूबर, 2012

संख्या : विद्युत-छ: (5)-18/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ग्रीनको हाटकोटी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 1071, रोड नम्बर 44, जुबली हिलज़,

हैदराबाद-500033, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल शेखल, क्यारकू व बखीरना, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में पौड़ीताल-लासा (24 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	रोहडू	शेखल	1234	00-03-60
			1237 / 2	00-00-90
			1238 / 2	00-06-30
			1211 / 2	00-02-56
			1210	00-04-06
			1171	00-02-14
			1172 / 2	00-01-95
			1172 / 3	00-02-92
			1199	00-02-10
			1197	00-01-99
			1201	00-09-56
			1202	00-06-40
			1286 / 2	00-00-64
			1285 / 2	00-01-26
			1392 / 2	00-02-52
			1391 / 2	00-04-76
			1390 / 2	00-00-50
			1389 / 2	00-00-96
			1394 / 2	00-05-32
			1418	00-13-10
			1419	00-03-32
			1230	00-04-10
			1231	00-10-28
			1391 / 3	00-05-12
			1394 / 3	00-04-88
			1392 / 3	00-05-76
			1393	00-08-94
			1285 / 3	00-04-59
			1286 / 3	00-03-64

			1172 / 4	00-04-07
			1203 / 1	00-00-66
			1204	00-03-29
			1206 / 3	00-02-60
			1205 / 3	00-05-23
			1282 / 2	00-01-03
			1283 / 2	00-00-44
			1205 / 2	00-00-38
			1206 / 2	00-00-90
			1207 / 2	00-00-28
			1208 / 2	00-00-66
			1209 / 2	00-00-56
			1240 / 2	00-00-40
			1239 / 3	00-01-04
			1394 / 4	00-01-76
			1238 / 3	00-45-39
			1237 / 3	00-03-94
			1236	00-01-51
			1390 / 3	00-07-97
			1389 / 3	00-15-43
			1382	00-04-65
			1383	00-03-24
			1387	00-06-70
			1384	00-03-08
			1385	00-02-94
			1388	00-05-28
			किता-55	रकवा तादादी-02-47-60
शिमला	रोहडू	क्यारकू	765	00-04-41
			766	00-10-08
			768	00-68-08
			किता-3	रकवा-00-82-57
शिमला	रोहडू	बखीरना	1	00-25-49
			156	00-31-68
			155	00-13-42
			164	00-05-41
			162	00-14-62
			163	00-17-96
			156 / 2	00-08-75
			किता-7	रकवा-01-17-33
			कुल किता-65	कुल रकवा 04-47-50

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य सचिव (विद्युत)।

